भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 558
उत्तर देने की तारीख 28.11.2024

एमएसएमई में नई प्रौद्योगिकियां और निवेश

558. **श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:**
श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या ***सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नई प्रौद्योगिकियों और निवेशों के संदर्भ में एमएसएमई क्षेत्र में सुधार की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश के कुल निर्यात में एमएसएमई का योगदान कितना प्रतिशत रहा; और

(ग) क्या सरकार देश के निर्यात में एमएसएमई का योगदान बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयास कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) नई प्रौद्योगिकियों और निवेशों के संदर्भ में एमएसएमई क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न स्कीमों / कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, एमएसएमई चैंपियंस स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), आत्मनिर्भर भारत कोष, सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इसके अलावा, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत, सरकार तीन प्रमुख स्कीमों नामत: स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस), स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है, ताकि उनके व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों में स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की जा सके।

(ख) वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) के अनुसार विगत पांच वर्षों में भारत के कुल निर्यात में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का योगदान निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	एमएसएमई निर्यात योगदान (%)
2019-20	49.75%
2020-21	49.35%
2021-22	45.03%
2022-23	43.59%
2023-24	45.73%

(ग) सरकार ने एमएसएमई निर्यात के संवर्धन हेतु निम्नलिखित पहलें की हैं:

i. एमएसएमई मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी हेतु एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ii. एमएसएमई मंत्रालय की निर्यात ऋण गारंटी स्कीम (ईसीजीएस) निर्यातकों को ऋण की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करती है और निर्यात से जुड़े जोखिम को कम करती है।

iii. रुपये में निर्यात ऋण के पूर्व और पश्चात शिपमेंट पर ब्याज समानीकरण योजना को भी एमएसएमई क्षेत्र के लिए दिनांक 31-12-2024 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके लिए कुल 12788 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

iv. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों जैसे निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

v. वस्त्र क्षेत्र के निर्यात की श्रम-उन्मुख कुछ वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 07.03.2019 से राज्य और केंद्रीय शुल्कों और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम का कार्यान्वयन किया गया।

vi. व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उत्पत्ति के प्रमाण-पत्र हेतु एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है।

vii. प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों को चिन्हित करके, इन उत्पादों के निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करके तथा जिले में रोजगार सृजन के लिए स्थानीय निर्यातकों/निर्माताओं को सहायता प्रदान करके 'निर्यात केन्द्र के रूप में जिले' पहल का शुभारंभ किया गया है।

viii. सरकार द्वारा दिनांक 11 सितंबर 2024 को ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक सूचना और मध्यस्थता मंच है, जो विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और वाणिज्य विभाग तथा अन्य संगठनों के अधिकारियों को एक साथ लाकर नए और मौजूदा दोनों निर्यातकों को व्यापक सेवाएं प्रदान करता है।

*****.